छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन स[redacted]त्

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) 492001

क्रमांक/आई.टी./ 4878 /2016 रायपुर, दिनांक 16.11.2016

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी, (समस्त)
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
जिला – ..... (छ.ग.)

विषय– **GPS तकनीक की सहायता से ज्ञात दूरी के संबंध में दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु सूचना जारी करने बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि GPS तकनिक की सहायता से ज्ञात **धान उपार्जन केन्द्र से धान संग्रहण केन्द्र** की प्रथम दूरी की जिलेवार सूची markfed.cg.nic.in पर अपलोड की गई है व ई–मेल के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है। इन दूरियों के संबंध में दावा अथवा आपत्ति हेतु जिला स्तर के धान परिवहनकर्ता संघ को तत्काल सूचित किया जाना है।

अतः उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला धान परिवहनकर्ता संघ को किसी तकनीक/प्रणाली/सिद्वांत पर दावा/आपत्ति न करने हेतु अपितु किसी विशेष संयोजन (धान उपार्जन केन्द्र से धान संग्रहण केन्द्र) की दूरी में संशोधन हेतु दिनांक 25.11.2016 तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने तत्काल सूचित करें। दावा/आपत्ति हेतु सूचना पत्र का प्रारूप संलग्न है।

उपरोक्तानुसार जिला विपणन कार्यालय में प्राप्त होने वाले दावा/आपत्ति के आधार पर किसी भी विशेष संयोजन (धान उपार्जन केन्द्र से धान संग्रहण केन्द्र) की दूरी में संशोधन हेतु परिक्षण कराकर वास्तविक दूरी ज्ञात कर सुधार/संशोधन की आवश्यकता के संबंध में अभिमत सहित प्रस्ताव (प्राप्त दावा/आपत्ति संलग्न कर) मुख्यालय को प्रेषित करें।

नोट :– आपके द्वारा प्रविष्ट दूरी जो कि जी.पी.एस. से प्राप्त दूरी से क्रमशः 80, 50 एवं 25 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शित हो रही है। ऐसे संयोजन की वास्तविक दूरी ज्ञात कर आवश्यकता अनुसार संशोधित प्रविष्टि कर अद्यतन करने हेतु डेटाबेस ओपन रखा गया है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(हिम शिखर गुप्ता)
प्रबंध संचालक

पृ. क्रमांक/आई.टी./ 4878 /2016 रायपुर, दिनांक 16.11.2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, छ.ग. प्रदेश, धान परिवहनकर्ता संघ रायपुर को सूचनार्थ।
3. श्री.ए.के. सोमशेखर, तकनीकी निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक

811

कार्यालय जिला विपणन अधिकारी
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या
जिला– (जिला का नाम) (छ.ग.)

सूचना–पत्र

प्रति,

अध्यक्ष,
धान परिवहनकर्ता संघ
जिला– .....(छ.ग.)

विषय– **GPS तकनीक की सहायता से ज्ञात दूरी के संबंध में दावा/आपत्ति प्राप्त करने बाबत्।**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ की अधिकारिक वेबसाइड markfed.cg.nic.in पर GPS तकनिक की सहायता से ज्ञात **उपार्जन केन्द्र से धान संग्रहण केन्द्र की प्रथम दूरी** की जिलेवार सूची अपलोड की गई है। विभिन्न संयोजन (धान उपार्जन केन्द्र से धान संग्रहण केन्द्र) का GPS तकनिक की सहायता से प्राप्त प्रथम दूरी के आधार पर जिला विपणन कार्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार परिक्षण किया जाकर दूरी में सुधार/संशोधन की कार्यवाही की गई है। GPS तकनिक के आधार पर संशोधित संयोजनों की सूची [***जिला विपणन कार्यालय. का नाम–पता उल्लेखित हो***] से भी प्राप्त की जा सकती है।

इन दूरियों के संबंध में जिस किसी परिवहनकर्ता/व्यक्ति/संस्था आदि को कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिकृत प्रतिनिधि या स्वंय के द्वारा किसी विशेष संयोजन (धान उपार्जन केन्द्र से धान संग्रहण केन्द्र) की दूरी में संशोधन हेतु दिनांक 25.11.2016 तक [***जिला विपणन कार्यालय. का नाम–पता उल्लेखित हो***] में दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। किसी तकनीक/प्रणाली/सिद्वांत पर दावा/आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी तथा नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

हस्ताक्षर

जिला विपणन अधिकारी
जिला– .....(छ.ग.)